



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 05 फरवरी 2024**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त आशु पुत्र भूरा व बुंदू पुत्र पीरा निवासीगण रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पशु चोरी, गौकशी जैसी अपराध कारित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30-11-2021 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 754/21 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.02.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आशु व बुंदू को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**अभियुक्त आशु का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 92/10 धारा 5(क)/8 गौवध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 22/13 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 24/13 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 282/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 215/18 धारा 147/323/325/452 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 237/19 धारा 174ए भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 11/20 धारा 379/402 भादवि व 25/52 शस्त्र अधि0 थाना मुण्डकरी जनपद पलवल (हरियाणा)।
8. मुअसं- 10/21 धारा 457/380 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 41/21 धारा 379 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 46/21 धारा 380 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 49/21 धारा 379/506 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 64/21 धारा 457/380 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 86/21 धारा 379 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

14. मुअसं- 158/21 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 159/21 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
16. मुअसं- 160/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
17. मुअसं- 161/21 धारा 3/8 गौवध अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
18. मुअसं- 164/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
19. मुअसं- 165/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
20. मुअसं- 270/21 धारा 379 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
21. मुअसं- 754/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

#### अभियुक्त बूंद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 14/20 धारा 379 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 10/21 धारा 457/380 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 64/21 धारा 380/457 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 86/21 धारा 379 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 41/21 धारा 379 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 46/21 धारा 380 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 49/21 धारा 379/506 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 158/21 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 159/21 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 160/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 161/21 धारा 3/8 गौवध अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 171/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 270/21 धारा 379 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 754/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सैल, बुलन्दशहर